

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/ 15306-346

दिनांक :- 30.01.13

आदेश संख्या 270/ 2012-13

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंसानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रुपये 11100/- (ग्यारह हजार एक सौ रुपये) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर पर दिनांक 04.02.2013 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। प्रशिक्षण अवधि 16 सप्ताह होगी तथा इस अवधि में उनके वेतन आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा। उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षाणीर्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।

क्र.स.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	05	302384	दीपक कुमार पाण्डिया/ गोपीकिशन पाण्डिया, कालूवास, बार्ड नं0 29, श्रीडुंगरगढ़ (बीकानेर) 331803	G.E.	09-12.1986
2.	09	303638	जोगेन्द्र सिंह सारण/रुपाराम सारण एल'-15, ग्रीन पार्क कॉलोनी, सोफिया स्कूल के पास, जयपुर रोड, बीकानेर-	OBC.	14.01.1977
3.	16	400808	अनिल कुमार/ जयदेव द्वितीय रेल्वे कोसिंग के पास, वेस्ट इण्डिया कोरियर की गली, शिव कॉलोनी बालोतरा (बाडमेर)	SC.	12.08.1975
4.	32	717465	जुगल किशोर सैनी/नन्द लाल सैनी किरोडियां, क्लोथ स्टोर, एस.बी.बी.जे. के पास सब्जी मण्डी, नवलगढ़ (झुन्झुनू) 333042	OBC.	15.04.1974
5.	33	726003	दयाराम/भागीरथ मल बिनादास की ढाणी, पोस्ट कारी वाया जाखल, नवलगढ़ (झुन्झुनू) 333311	OBC	05.08.1988
6.	40	300010	लक्ष्मीनारायण पारीक/ नन्दकिशोर पारीक भास्कर टाईल्स फैक्ट्री इण्डस्ट्रीयल ऐरिया लूनकरणसर, बीकानेर	GE.	12.03.1986
7.	48	300220	विजय कुमार / मांगीलाल वार्ड नम्बर 13, रैगर बस्ती, गंगा माता मन्दिर के पास,, पी ओ राजलदेसर, चूरू- 331802	SC	05-05-72
8.	83	701330	बलवीर सिंह डुकिया/गणपत राम डुकिया ग्राम पो0 सिहोट छोटी, वाया-फागलवा जिला सीकर-332033	OBC.	19.07.1989
9.	91	302871	रोहताश कुमार / लक्ष्मीचन्द 6-बी-65, जयनारायण व्यास नगर, बीकानेर - 334003	BC/ NG	05-07-83
10.	96	303390	विवेक आचार्य/ स्व0 श्री सुन्दर लाल आचार्य, आचार्यों की घाटी के नीचे, उस्ताबारी के अन्दर, महालक्ष्मी मंदिर के सामने, बीकानेर-334001	GE.	18.06.89

d/s

11.	104	401898	गिरधारी लाल/प्रयागदास गायत्री चौक, बाडमेर-344001	GE.	21.02.1976
12.	106	304512	मांगीलाल शर्मा/नन्धु लाल शर्मा, 249, सैक्टर नं०-3, सरकारी अस्पताल के पीछे, शास्त्री पार्क, हनुमानगढ़ टाउन- 335513	GE.	28.01.1976
13.	125	703938	महेन्द्र कुमार दिखनी/ बजरंग लाल दिखनी प्र० अजीतगढ़, जिला सीकर-332701	GE.	27.08.1976
14.	135	715554	जयप्रकाश कुमार सैनी/ लक्ष्मण प्रसाद सैनी बावड़ी गेट, आटा चक्की नवलगढ़ झुंझुनू	OBC	01.05.1975
15.	145	723315	तारा चन्द सैनी/ भंवर लाल सैनी सेठों की कोठी पो० दीनवा जाटान, लक्ष्मणगढ़, सीकर-332311	OBC	03.02.1979
16.	164	401533	सुरेश कुमार/केशरीमल, गांव-फुलण तहसील सिवाना, पोस्ट- देवडण जिला बाडमेर-344044	OBC.	04.01.1988
17.	165	713531	धर्मपाल सिंह/शिवदान सिंह, ग्राम राजनगर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर-332713	OBC.	01.07.1970
18.	199	716492	सुशील चौमाल/ भीखमचंद चौमाल विनायक पुरी स्वर्णकार भवन के पास, पोलो ग्राउण्ड, सीकर-	GE.	12.12.1986
19.	201	301539	कन्हैयालाल शर्मा/बजरंग लाल शर्मा ग्राम पोस्ट-लाखारू, तहसील व जिला चूरू-	GE.	10.05.1973
20.	207	719339	हरिसिंह सेवदा/लक्ष्मण राम सेवदा 1114/41, चौधरी चरण सिंह नगर, नवलगढ़ रोड, सीकर-332001	OBC.	08.10.1985
21.	212	300984	रवि कुमार व्यास/पुरुषोत्तम दास व्यास, रताणी व्यास का चौक, झमणसा जोशी की गली, बीकानेर - 334005	GE.	24.07.1982
22.	224	304660	संदीप कुमार जोशी/ परमेश्वर लाल जोशी ग्रा०पो० गोगासर तह० रतनगढ़, चूरू- 331504	GE.	20.11.1986
23.	238	709210	मुकेश टाक/शंकर लाल टाक, द्वारा: संतोष कुमार टेलर, शिव मन्दिर के पास, मु.पो. कालाडेश तह. चौमू जिला जयपुर	BC.	02.04.1976
24.	251	303375	ताराचंद गोदारा/रति राम गोदारा चक-4 पी.डब्ल्यू. एम. (4 पावली) ग्राम पंचायत 3 पावली, तहसील खाजूवाला, बीकानेर-334023	OBC.	18.04.1987
25.	286	304258	कृष्ण गोपाल आचार्य/भूरामल आचार्य गांधी चौक, वार्ड नं० 16, पोस्ट राजलदेसर, जिला चूरू-	OBC.	07.09.1985
26.	289	709512	रोहित माहिच / थावरमल माहिच वार्ड नं० 28, भंवर कॉलोनी, क.उ.मण्डी समीति के पीछे, सीकर-332001	SC.	25.10.1985
27.	293	704075	वीरेन्द्र सिंह दादरवाल / चौथमल दादरवाल ग्रा०पो०, बहादुरवास, बाया हनुमानपुरा जि० झुंझुनू	OBC.	15.08.1971
28.	297	300666	सुनील कुमार त्रिपाठी/ रामकिशन करणी मन्दिर के पास, जोरावरपुरा नोखा, वार्ड नम्बर 26, नोखा जिला बीकानेर - 334803	OBC	20-07-84
29.	317	702766	मुकेश कुमार राड़ / आनन्दी लाल राड़ मु०पो० चक रामनगर बाया, काचरियाबास, तह० दौतारामगढ़, सीकर- 332710	OBC.	07.07.1988
30.	324	101287	दिनेश चन्द सोनी / कैलाश चन्द सोनी सुखदेव आश्रम के पास, पोस्ट-लाडनू जिला नागौर 341306	OBC	11-10-1886
31.	326	401776	स्नेह लता योगी/ सत्यनारायण योगी 76-बी-III/8, आफिसर्स कालोनी, बाडमेर	SC	15.01.1987
32.	340	402658	सुजना राम विश्वाई/जोगाराम, ग्र. सांवलासा पंचायत डोडू तह. गोबमालानी बाडमेर 344033	BC	20.06.1987
33.	384	303086	धर्मेन्द्र कुमार गोयल/मौंगीलाल गोयल गोयलों का मौहल्ला, नापासर जिला बीकानेर-334201	SC.	25.10.1983
34.	387	704183	राधेश्याम मीणा/ दुरसाराम मीणा दाणी जोरा मीणा की पोस्ट मन्दौली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर- 332713	ST.	12.08.1973

108

उपरोक्त अभ्यर्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जा रही

है:-

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन होगी।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी. (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण-पत्र की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति देते समय दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रारूपानुसार एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा। बिना उपरोक्त शपथ-पत्र के उनकी उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
6. इस अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
9. उक्त नियुक्तियों माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। 10. परिवीक्षाकाल में इनकी सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में उक्त प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि को यथासमय निश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेंगे अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।


निदेशक

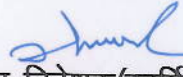
क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ()/अलेसे-11/ 15306-346
प्रतिलिपि:-

दिनांक :- 30.01.13

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर
4. श्री.....

..... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट संस्थान के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. **उप निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर** को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अभ्यर्थियों की उपस्थिति से पूर्व दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में एक अनुबन्ध पत्र/ बाण्ड एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति रिपोर्ट स्वीकार करें, तथा इसे निदेशालय को (चिकित्सा प्रमाण पत्र के अतिरिक्त) प्रेषित करावें।
6. विशोषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक
8. गोपनीय शाखा
9. रक्षित/निजी पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

**BOND TO BE EXECUTED BY GOVERNMENT SERVANT REQUIRED TO UNDERGO
TRAINING ON RS.10/- NON JUDICIAL STAMP PAPER**

This bond is made on the _____ date of 2013 by _____ Son of
Shri _____ resident of _____
appointed to the post of ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First Part and
_____ Son of Shri _____ resident of _____
(First Surety); and _____ Son of Shri _____
resident of _____ (Second surety) hereinafter called collectively the
sureties of the second part in favor of the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the
Government).

Whereas the Governor has selected the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT.

And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent
charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of 16 weeks.

And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the terms
hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the due performance by
the trainee of the said terms.

And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trainee of
the said terms in the manner hereinafter after appearing.

Now this deed witnesses as follows:-

(1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of
ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursuance of
the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of
such training and within a period of Two year after the completion of such training, he shall not
resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment
other than post for which he has been so selected.

(2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the
sureties agree that if, during the period of training or within a period of Two year after the
completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of
clause (I) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the
double of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training
together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid
to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules:

Provided that the trainee and the Parties shall not be required so to pay the emoluments
paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the
opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.

In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the day in year
above written.

Signed by the Trainee:

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the First Surety

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the Second Surety

Witness (I)

Witness (II)

Note:- All above persons give Full name & Address with their ID Proof

Accepted
D.T.A.